District Registry Office,Purnea Sadar

Non Encumbrance Certificate

RTPS No.:-
03011309100210117S

प्रमाण पत्र सं0 1175

चूँकि श्री ARVIND KUMAR ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध मे निबन्धित संव्यवहारो और अवभारों का विवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन मे वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारो के बारे मे बही 1 मे और उससे संबंधित अनुक्रमणियों मे ता0 01/01/2008 से ता0 17/06/2021 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारो और अवभारों का पता चला है–

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं0	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ट से	पृष्ट तक	वर्ष
1	DISTRICT REGISTRY OFFICE PURNIA	MADHUBANI	123/1	784	999	50.400 DECIMAL		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारो को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नही चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–

नाम –HARENDARA PRASAD SINGH
L.D.C. Harendra Prasad Singh
L.D.C

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :–

नाम –Kumari Sadhana
R.K Sadhana

कार्यालय – District Registry Office, Purnea Sadar तारीख – 18/06/2021

कार्यालय जिला निबंधक पूर्णियाँ सत्यमेव जयते

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी–

1. इस प्रमाण पत्र में जो सव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित सव्यवहार (ट्राजेक्सन) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगें।)

2 निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेगी।

3 किन्तु चूकि वर्त्तमान मामले मे आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4 और चूकि वर्त्तमान मामले मे आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारो और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:– 1175 दिनांक:– 18/06/2021

शाखा प्रबंधक ICICI BANK PURNIA के पत्र दिनांक 17/06/2021 के आलोक मे प्रेशित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर